राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक सीडी / लो.से.गा. अधि.–2011 / 2015 / दिनांक

नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (चि0 प्रशासन),
नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0),
नोडल अधिकारी एवं उप / संयुक्त निदेशक (प0क0),
नोडल अधिकारी एवं सहायक औषधी नियंत्रक।

विषयः– राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 निर्धारित सेवाऐं समय पर प्रदान कराने एवं अधिनियम की क्रियान्वयति सतत् मॉनिटरिंग बाबत्।

संदर्भः– अति. मुख्य सचिव महोदय प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) एवं सहायक शासन सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के पत्रांक क्रमशः प. 13 (5) प्र.सु. / सम. / अनु–1 / 2011 पार्ट दिनांक 12.12.14 एवं प. 32 (20) चि.स्वा. / 2 / 13 / दिनांक 02.01.15 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान लोक सेवओं के प्रदान की गारटी अधिनियम, 2011 में निर्धारित समस्त सेवओं की प्रदानगी (Delivery) निर्धारित समय में हो, यह सुनिश्चित किया जावे और इसकी पाक्षिक समीक्षा की जावे। यदि कोई ऐसा प्रकरण हो जिसमें संबंधित पदाभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा निर्धारित समयावधि में सेवाऐं प्रदान नहीं की गई हो तो उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 7 एव अधिनियम के नियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही / शास्ती अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी।

अतः कृपया आप राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से निम्नांकित बिन्दुओं के मद्देनजर कार्यवाही करावें:–

1. अधिनियम के क्रियान्वयन की सतत् एवं नियमित मॉनिटरिंग की जावे।
2. भविष्य में अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में सभी सेवाऐं प्रदान कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि किसी प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा समय पर सेवाऐं प्रदान नहीं की जाती है, तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 7 एवं नियमों के अन्तर्गत शास्ती अधिरोपित करने / विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
3. राज्य सरकार के निर्देशानुसार अधिनियम की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रति माह 5 तारीख एवं 20 तारीख तक जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित करावें।

/

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

D:\333\LALIT G\lalitG letter docx 2015/E-mail: iddcell@gmail.com

क्रमांक सीडी / लो.से.गा. अधि.–2011 / 2015 / 76 दिनांक 27/01/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) जयपुर, विभाग को उनकी अशा.टिप.संख्या प.13 (5) प्रसु / सम. / अनु–1 / 2011 पार्ट दिनांक 12 दिसम्बर 2014 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के क्रमांकः प. 032 (20) / 13 दिनांक 02.01.2015 के क्रम में।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य / प.क. / एड्स / आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
5. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
6. प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, राज0 जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक,(ग्रा.स्वा. / प.क. / राजपत्रित / चि.प्रशा.) मुख्यालय निदेशालय।
8. औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, मुख्यालय।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन–राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि वे जिले के समस्त प्रभारी अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र / प्राथ.स्वा.केन्द्र को अपने स्तर पर निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान ।
12. श्री सोमेश सिंह, आई.टी. कन्सलटेन्ट, प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. आदेश / निजी पत्रावली।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर